दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज निवास, दिल्ली में 2 जनवरी, 2020 को अपराह्न 3.00 बजे हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

इस बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री तरूण कपूर

सदस्य

1. श्री के. विनायक राव
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री शैलेन्द्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्री कामरान रिज़वी
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
4. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक और
   रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा में विपक्ष के नेता
5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री एस.के. बग्गा, विधायक
7. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

सचिव

श्री राजीव गाँधी
स्थानापन्न आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

Scanned with CamScanner

विशेष रुप से आमंत्रित

1. डॉ. राजेश कुमार
   प्रधान आयुक्त (आवास, रा.म.खे. एवं खेल), दि.वि.प्रा.

2. श्री मनीष कुमार गुप्ता
   प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, भूमि प्रबंधन, प्रणाली एवं समन्वय), दि.वि.प्रा.

3. डॉ. राजीव कुमार तिवारी
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूदृश्य), दि.वि.प्रा.

4. श्रीमती मनीषा सक्सैना
   सचिव (शहरी विकास) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार
   उपराज्यपाल के प्रधान सचिव

2. श्रीमती चंचल यादव
   उपराज्यपाल के विशेष सचिव

मानीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष रुप से आमंत्रित और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 01/2020

राजनिवास में 11.12.2019 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2019/एमसी/डीडीए

दिनांक 11.12.2019 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद सं. 02/2020

11.12.2019 को हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(2)2019/एमसी/डीडीए

दिनांक 11.12.2019 को हुई प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) के संबंध में प्राधिकरण के सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीः

Scanned with CamScanner

श्री विजेन्द्र गुप्ता

1. श्री विजेन्द्र गुप्ता ने ज़ोन 'ओ' में कुछ क्षेत्रों को शामिल करने का मामला उठाया और कहा कि मानदंडों में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु दि.वि.प्रा. द्वारा ज़ोन-'ओ' को अधिसूचित करते समय कुछ क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने अनुरोध किया कि इन क्षेत्रों को हटाने के लिए प्रधान समिति को मामला भेजा जाए।

श्री सोमनाथ भारती

1. श्री सोमनाथ भारती ने अनुरोध किया कि कालू सराय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु दी गई भूमि का सीमांकन किया जाए जैसा कि प्राधिकरण की पिछली बैठक में निदेश दिया गया था।
2. उन्होंने अनुरोध किया कि गुज्जर डेयरी सामुदायिक हॉल की संरचनात्मक स्थिरता के निर्धारण में शीघ्रता लाई जाए।
3. उन्होंने गुलमोहर पार्क में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का अनुरोध किया। प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा. ने यह सूचित किया कि एस.डी.एम.सी. को भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया है।
4. उन्होंने दि.वि.प्रा. के पार्कों में झूलों और ओपन बैडमिंटन कोर्ट हेतु अनुरोध किया।
5. उन्होंने अनुरोध किया कि व्यावसायिक प्रयोजन हेतु कुम्हार बस्ती स्थित भूमि का विकास कार्य करने के लिए डी.एम.आर.सी. को रोका जाए ताकि सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु पहुँच सड़क उपलब्ध कराई जा सके।

   उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने सूचित किया कि मामले के समाधान हेतु डी.एम.आर.सी. के साथ बैठक की जाएगी।
6. उन्होंने अधचिनी में सामुदायिक केन्द्र के विकास का अनुरोध किया क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. और अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त के साथ जाँच समिति ने इस मामले को अनुमोदित कर दिया है।

श्री ओ.पी.शर्मा

1. श्री ओ.पी.शर्मा ने पी.एम.-उदय (यू.डी.ए.आई.) हेतु 25 और सहायता डेस्क खोलने के लिए दि.वि.प्रा. का धन्यवाद किया और उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक और सहायता डेस्क खोलने का अनुरोध किया।
2. उन्होंने प्राधिकरण के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में 2-3 और अधिक जिम खोलने का अनुरोध किया।

मद सं.03 /2020

ई.डब्ल्यू.एस/सामुदायिक-सेवा कार्मिक आवास के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन एफ3(37)2004/एम.पी.

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11क के अंतर्गत आपत्तियाँ आमंत्रित करने/सुझाव देने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद सं. 04/2020</u>

मुख्य छत्तरपुर रोड से एस.ए.ए.आर.सी. कैंपस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सी.ए.पी.एफ.आई.एम.एस.), एन.आई.सी. कैंपस तक पहुँच मार्ग उपलब्ध कराने हेतु 30मी./24मी. चौड़ी मुख्य योजना सड़क का विकास/निर्माण।

एफ.4(4)सी.सी.-1/2018-19/डी.डी.ए./पार्ट

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 05/2020</u>

पारगमन उन्मुख विकास (टी.ओ.डी.) के संबंध में दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20(7)2015/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 11'क' के अतंर्गत आपत्तियाँ आमंत्रित करने/सुझाव देने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद सं. 06/2020</u>

फिटनेस सेंटर (जिम, योग/ध्यान केंद्र सहित) एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में दि.मु.यो.-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.3(9)/2012/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के विचारार्थ एवं अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को अग्रेषित किया जाए।

<u>मद सं. 07/2020</u>

दिल्ली जैव-वैविदय पार्कों के प्रबंधन हेतु 1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत पंजीकृत दिल्ली बायोडायवर्सिटी सोसायटी।

एफ.पी.ए./ए.सी.(एल.एस.)/डी.डी.ए.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं. 08/2020</u>

पी.एम.ए.वाई. दिशानिर्देशों के अनुसार पी.पी.पी.मोड पर व्यवहार्य जे.जे. क्लस्टरों के स्व-स्थाने पुनर्विकास/पुनर्वास हेतु अनुमति।

एफ2(03)2019/पी.एम.ए.वाई.(आई.एस.आर.)

Scanned with CamScanner

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्राप्त बोलियों की जांच अंतिम अनुमोदन से पूर्व अभियंता विभाग एवं वित्त विभाव द्वारा की जाए।

मद सं. 09/2020

विकास नियंत्रक मानकों तथा मुख्य योजना में उप-नगर स्तर पर धार्मिक श्रेणी के अंतर्गत अनुमेय गतिविधियों में संशोधन।

सं.एफ. 15(01)2018-एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु मामले को अग्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दे'

श्री विजेंद्र गुप्ता

1. श्री विजेंद्र गुप्ता ने अनुरोध किया कि असंगत क्षेत्रों में गोदामों को एफ.सी.आई. मानकों के अनुसार कृषि उत्पाद की सफाई और अन्य उद्देश्यों के लिए सोरटेक्स संयंत्र लगाने की अनुमति दी जाए क्योंकि उत्तरी डी.एम.सी. द्वारा मानकों के उल्लंघन हेतु गोदाम मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। माननीय उपराज्यपाल को ग्रेन ओनर्स एसोसिएशन का ज्ञापन सौंपा गया।

श्री सोमनाथ भारती

1. श्री सोमनाथ भारती ने अनुरोध किया कि दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित किए जाने वाले भारत वंदना पार्क के विषय में द्वारका के निवासियों द्वारा कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया जाए।

   माननीय उपराज्यपाल ने सूचित किया कि पार्क के विकास के दौरान कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा और 12,000 अतिरिक्त वृक्ष लगाए जाएँगे।

श्री ओ.पी. शर्मा

1. श्री ओ.पी.शर्मा ने सीरी फोर्ट और पंचशील पार्क के बीच की सड़क का नाम स्वर्गीय श्री अरूण जेटली के नाम पर रखने का अनुरोध किया। श्री अनिल वर्मा और क्षेत्र के 380 निवासियों का ज्ञापन माननीय उपराज्यपाल को सौंपा गया।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष रुप से आमंत्रित व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारिओं का धन्यवाद किया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई।

Scanned with CamScanner